

बिहार सरकार के अनुशंसा के आलोक में विशेष दावा वाद न्यायाधिकरण का गठन दरभंगा प्रमण्डल में किया गया है तथा मोटर दुर्घटना दावावाद, मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा के क्षेत्राधिकार में विचारणीय है। अतः बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित गजट संख्या-885 दिनांक 26.10.2023 के कंडिका 15 में निहित प्रावधान के आलोक में प्रस्तुत दावावाद को निस्तारण हेतु मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा भेजा जाता है।

अपर जिला न्यायाधीश-सप्तम्
समस्तीपुर